जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 10 / डी– 1035 दिनांक:– 12-8-10

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 68वीं बैठक दिनांक 29.07.10 को प्रातः 10:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :–

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		68:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निरतारण समिति की आयोजित 67वीं बैठक दिनांक 28.06.10 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 66वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 67वीं बैठक दिनांक 28.06.10 को आयोजित की जाकर कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। कार्यवाही विवरण का अनुमोदन होने पर अनुमोदित निर्णयों को पालनार्थ संबंधित को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया तथा 52वीं से 66वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा आगामी बैठक में किये जाने का निर्णय लिया गया।
2.	1	68:2	झालाना फेज–।। योजना के भूखण्ड संख्या एफ–20 के स्थान पर अन्य भूखण्ड आवंटित करने बाबत।	प्रकरण में प्रार्थी श्री गुलाब पुत्र श्री जमना प्रसाद को भूखण्ड संख्या एफ–20 के बदले समान क्षेत्रफल का भूखण्ड संख्या डी–73 आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में भूखण्ड संख्या डी–73 के पूर्व आवंटन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
3.	14	68:3	पार्थ नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या बी–485 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का मौके पर 102.93 वर्गमीटर क्षेत्रफल अधिक हो जाने के कारण प्रार्थी द्वारा नहीं लेने एवं प्रार्थना पत्र के अनुसार योजना में 252 वर्गमीटर का अन्य भूखण्ड समान स्थिति में आवंटन करने बाबत।	प्रकरण में श्री मोहम्मद शाकिर खाँ पुत्र श्री अब्दुल रहीम खाँ को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या बी–485 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर जो कि 12 मीटर चौडी रोड पर स्थित है। का क्षेत्रफल 102.93 वर्गमीटर बढ जाने तथा आवंटी द्वारा बढे हुए क्षेत्रफल को लेने बाबत असहमति व्यक्त करने पर समान रोड पर स्थित भूखण्ड संख्या बी–342 क्षेत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
4.	1	68:4	मंत्री, पाथेय कण संस्थान को पूर्व में किये गये आवंटन की समीक्षा करने बाबत।	प्रकरण में संस्था द्वारा आगामी बैठक में संचालित की जाने वाली गतिविधियों का विवरण तथा विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर आगामी कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
5.	8	68:5	अधिशाषी अभियन्ता जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 जयपुर डिस्कॉम सांगानेर को 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रकरण में जयपुर विधुत वितरण निगम लि0 को 33/11 केवी ग्रिड सब स्टेशन हेतु खसरा नं. 395 ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर रकबा 18533.32 वर्गमीटर में से 1000 वर्गमीटर भूमि उप विभाजन/पी.डब्ल्यू.सी. में संशोधन पश्चात जोन की संस्थानिक आरक्षित दर 5625/– रू प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया।

उप० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

6.	13	68:6	पीताम्बरा आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए–282 से ए–308 के भूखण्डधारियों को पूर्व में आवंटित भूखण्डों के स्थान पर बी–ब्लॉक एवं डी–ब्लॉक के रिजर्व भूखण्डों का आवंटन करने बाबत।	प्रकरण में पीताम्बरा आवासीय योजना में 45 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले भूखण्ड संख्या ए–282 से ए–308 तक के कुल 27 भूखण्ड योजना सीमा पर होने के कारण मौके पर उपलब्ध नहीं है। आवंटियों को मौके पर कब्जा सुपुर्द किये जाने के दृष्टिगत 27 भूखण्डों में से 18 भूखण्डों के आवंटियों को योजना के डी–ब्लॉक के भूखण्ड संख्या डी–79 से डी–100 (चार कॉर्नर भूखण्डों को छोड़ते हुए) व शेष 9 भूखण्डधारियों को बी–ब्लॉक में भूखण्ड संख्या 322 से 331 तक समान क्षेत्रफल, समान साईज व समान रोड पर लॉटरी द्वारा आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
7.	5	68:7	दुकान संख्या 240 से 275 न्यू आतिश मार्केट के पीछे की अतिरिक्त भूमि की दर निर्धारण बाबत।	प्रकरण में न्यू–आतिश मार्केट की दुकान संख्या 240 से 275 के पीछे की अतिरिक्त भूमि को पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक दिनांक 30.05.07 के निर्णयानुसार आवेदक दुकानदारों के पक्ष में योजना में पूर्व में नीलाम की गई अधिकतम दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
8.	7	68:8	आर. के. यादव मैमोरियल सोसायटी सिरसी रोड जयपुर को ग्राम सिरसी के खसरा नं. 1770 एवं 1771 में भूमि आवंटन के संबंध मे।	प्रकरण में आर. के. यादव मैमोरियल सोसायटी को निर्धन, बीपीएल एवं समाज के सभी वर्गो के नशा संबंधी एवं मानसिक रोगों के उपचार तथा पुर्नवास हेतु ग्राम सिरसी तहसील जयपुर के स्थित खसरा नं. 1770 एवं 1771 में से 1327.12 वर्गगज का एक भूखण्ड क्षेत्र की संस्थानिक आरक्षित दर 3125/–रू. प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटित करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

1.	10	68:8(1)	सुमेल योजना में लॉटरी द्वारा आवंटित सफल आवेदको मे से 42 भूखण्डधारियों (परिशिष्ट 'अ') को कोर्ट स्टे के कारण कब्जा नहीं मिलने पर सहमति देने वाले 20 भूखण्डधारियों (परिशिष्ट 'ब') को विनिमय द्वारा अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु निर्णय।	वर्ष 1992 में सुमेल योजना में सफल आवेदकों को लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटित किये गये थे तथा मांग राशि जमा होने पर कब्जा पत्र/लीजडीड जारी हो जाने के बावजूद न्यायालय स्थगन के कारण भौतिक कब्जा नहीं दिया जा सका। ऐसे 42 भूखण्डधारियों में से 20 भूखण्डधारियों से विनिमय द्वारा अन्य भूखण्ड लेने की सहमति प्राप्त होने पर परिशिष्ट 'स' में से समान क्षेत्रफल व स्थिति वाले भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटित करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण के मध्यनजर शेष 22 भूखण्डधारियों की सहमति प्राप्त होने पर उन्हें भी परिशिष्ट 'स' के शेष भूखण्डों में से उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार ही भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
2.	10	68:8(2)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम जामडोली में 33/11 के.वी. हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रकरण में जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम जामडोली में 33/11 के.वी. ग्रिड स्टेशन की स्थापना हेतु ग्राम जामडोली तहसील जयपुर स्थित खसरा नं. 165, 448 व 505/1 में से 1000 वर्गमीटर भूमि क्षेत्र की आरक्षित दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
3.	13	68:8(3)	राजकीय प्राथमिक विद्यालय डूंगरी तलाई (राजीव गांधी पाठशाला) हेतु भूमि आवंटन (ग्राम–जैतपुरा, तहसील–चौमू)	प्रकरण में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, डूंगरी तलाई (राजीव गांधी पाठशाला) ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमू को खसरा नं. 865 रकबा 5.81 हैक्टेयर ग्राम जैतपुरा, तहसील चौमू में से राज्य सरकार के परिपत्रानुसार विद्यालय के वर्तमान निमित भवन की भूमि को सम्मलित करते हुए 4000 वर्गगज भूमि निःशुल्क आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

उप शासन सचिव (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	5	68:8(4)	श्रीमती पुष्पा अग्रवाल के भुखण्ड संख्या डी–26, सुर्दशनपुरा–विस्तार,औद्योगिक क्षेत्र बाईस गोदाम की भूमि में से 300.3 वर्गमीटर भूमि सडक में काम में लिये जाने के क्रम में।	प्रकरण में प्रार्थी को सुना गया प्रार्थी के भूखण्ड संख्या डी–26, सुर्दशनपुरा–विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र बाइस गोदाम की भूमि में से 300.3 वर्गमीटर भूमि प्राधिकरण द्वारा सडक में काम ली गई है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा संबंधित वर्ष में प्रार्थीया की भूमि की वैल्यू के समतुल्य राशि का भूखण्ड देने हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष प्रकरण को रखने का निर्णय लिया गया।
5.	13	68:8(5)	सीमा सुरक्षा बल को सेक्टर मुख्यालय, रिजर्व बटालियन, बी.एस.एफ. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी एवं सीमान्त मुख्यालय हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रकरण में सीमा सुरक्षा बल को एलपीसी की 55वीं बैठक दिनांक 07.08.09 के निर्णय की अनुपालना तथा राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 08.10.09 के अनुसरण में ग्राम बिलौंची के खसरा नं 934 व 963 में से 101 एकड़ भूमि तथा ग्राम चौंप के खसरा नं. 1325 में से 24 एकड़ कुल 125 एकड़ भूमि का आवंटन दिनांक 16.11.09 को किया गया। आवंटित भूमि पर वन विभाग द्वारा किये गये वृक्षारोपण व भूमि के स्वामित्व संबंधी एतराज प्रस्तुत करने के कारण आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया। आवंटित की गई 125 एकड़ भूमि के स्थान पर ग्राम भानपुरकलां तहसील जमवा रामगढ स्थित खसरा नं. 658 एवं 709 कुल रकबा 154.13 बीघा भूमि में से 75 एकड़ (120 बीघा) भूमि ग्राम भानपुराकलां की मांग की गई लेकिन उक्त भूमि पर सघन वृक्षारोपण होने से आवंटित नहीं की जा सकती वैकल्पिक भूमि के प्रस्ताव के साथ प्रकरण अगली बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।
6.	12	68:8(6)	ग्राम सरदारपुरा ग्राम पंचायत रौजदा, तहसील आमेर में वुडलैण्ड पार्क हेतु भूमि आरक्षित करने बाबत।	प्रकरण में वन विभाग के प्रस्तावानुसार वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ग्राम सरदारपुरा ग्राम पंचायत रौजदा, तहसील आमेर स्थित खसरा नं. 543/2 कुल रकबा 12.13 हैक्टेयर भूमि में से 10 हैक्टेयर भूमि वन विभाग द्वारा वुडलैण्ड पार्क विकसित करने हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। आरक्षित भूमि पर प्राधिकरण के स्वामित्व संबंधी अधिकार पूर्ववत बरकरार रहेंगे।
7.	7	68:8(7)	द केसल कॉन्वेन्ट वेलफेयर सोसायटी, जयपुर (द केसल कान्वेन्ट स्कूल) हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रकरण में द केसल कॉन्वेन्ट वेलफेयर सोसायटी, जयपुर (द केसल कान्वेन्ट स्कूल) हेतु ग्राम गिरधारीपुरा तहसील जयपुर के खसरा नं. 57 में स्थित भूखण्ड संख्या 2ए क्षेत्रफल 2674 वर्गगज भूमि का आवंटन संस्थानिक आरक्षित दर 3625/-रू. प्रति वर्गमीटर पर आवंटित करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदन हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।
8.	12	68:8(8)	ग्राम रामला का वास तहसील जयपुर में कब्रिस्तान हेतु 2 एकड़ भूमि आरक्षित करने बाबत।	प्रकरण में कालवाड के निकट ग्राम रामला का वास तहसील जयपुर में स्थित खसरा नं. 15/1 रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा में से 2 एकड़ भूमि ईसाई समाज के कब्रिस्तान व कम्यूनिटी हॉल हेतु आरक्षित करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष रखे जाने वाले एजेण्डा नोट की पूर्व समीक्षा हेतु सचिव जविप्रा, निदेशक (वित्त), जविप्रा एवं अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) की संयुक्त समिति के गठन का निर्णय लिया गया। उक्त समिति द्वारा राज्य सरकार के नियमों तथा जविप्रा के प्रावधानों की परिपेक्षय में विस्तृत विश्लेषण करने के पश्चात ही प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जायेंगे।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3. जिला कलक्टर, जयपुर
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
13. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 68वी बैठक दिनांक 29.07.10 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती गायत्री राठौड, सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री ओ.पी. दौराया, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
5.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन एवं एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री पी. अरविन्द, एस.टी.पी. (एम.पी.)	विशेष आमंत्रित
7.	श्री गिरीश पारासर, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
8.	श्री एस मित्रा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
9.	श्री ह्रदेश कुमार शर्मा, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
10.	श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
11.	ओंकार मल, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
12.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
13.	श्री पी.सी. शर्मा, उपायुक्त जोन–13	विशेष आमंत्रित
14.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित